अनुदान संख्या 73 – योजना मंत्रालय
GRANT No. 73 - MINISTRY OF PLANNING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	338,97,00	485,84,00	458,44,99	-27,39,01
पूरक	Supplementary	146,87,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,30,18
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		68,00	48,32	-19,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,68

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2739.01 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018, फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹14687.00 लाख के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2739.01 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grants of ₹14687.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	26612.00	39051.37	38738.42	-312.95
पू.	S.	14687.00			
पु.	R.	- 2247.63			

(I) "अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान – निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत उनके सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(I) Supplementary grant obtained under "Other Expenditure" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "नए कार्यक्रम – केंद्रीय योजना" – ₹20000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12595.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹32595.00 लाख किया गया तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने, मुद्रण और विज्ञापनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण ₹1207.27 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "New Programmes - Central Plan"- the original provision of ₹20000.00 lakhs was augmented to ₹32595.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12595.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1207.27 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards printing and advertisements and conduction of less workshops and training.

(खा) "बीई 2014–15 से [एसओपीएस, ईपीपी (आईसी), आर एंड एस, पीएफएआर, यूएनडीपी – एचडीबीआई, यूएनडीपी–एससीडीपी] चालू कार्यक्रम और देयताएं सहित स्कीम" – ₹3912.00 लाख के मूल प्रवधान को ₹2091.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6003.50 कर दिया गया था, जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, यात्रा भत्तों के लिए कम दावे प्राप्त होने और नीति आयोग की रिपोर्टों की प्रिंटिग के लिए कम निधियों की आवश्यकता की वजह से ₹534.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Ongoing Programme and Schemes including Liabilities from BE 2014-15 (SOPS, EPP(IC), R&S, PFAR, UNDP - HDBI, UNDP-SCDP]" - the original provision of ₹3912.00 lakhs was augmented to ₹6003.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2091.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹534.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards travel allowance and requirement of less funds towards printing of reports of NITI Aayog.

(II) "अन्य व्यय – अन्य संबद्ध कार्यालय स्वायत्त निकाय" के अन्तर्गत – ₹968.43 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, फील्ड यूनिटों को बंद किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्कलन चरण प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Other Expenditure - Other Attached Offices Autonomous Bodies"- saving of ₹968.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, closure of field units and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.